

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 29/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/301

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
1. शिवसिंह पुत्र पन्नेसिंह		राजस्थान सरकार जरिये नायब
2. देवीसिंह पुत्र भोपालसिंह		तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन जिला
जातिगण राजपुरोहित निवासीराण		पाली
तालका, तहसील मारवाड़ जंक्शन,		
जिला पाली		

“अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956”

उपस्थित -

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सिंह सोलंकी।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

:- निर्णय :-

दिनांक- 20/11/2024

अपीलान्त की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के प्रकरण संख्या 79/2023 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2024 के विरुद्ध पेश की गई। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2024/98 दिनांक 02.09.2024 के द्वारा रिकॉर्ड प्रस्तुत किया। अधिवक्ता अपीलाण्ट तथा सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील बहस के दौरान अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा तालका के खसरा संख्या 41 रकबा 4.00 हैक्टेयर किस्म बंजड़ की भूमि पर तारबंदी कर कब्जे करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट पटवारी खारड़ी द्वारा नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने 91 एल.आर.एक्ट. के तहत दिनांक 14.02.2024 को प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को जरिये नोटिस दिनांक तलब किया गया। उक्त नोटिस की नियत तारीख पेशी पर अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई तथा दस्तावेजी/साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु यथोचित अवसर प्रदान किये बिना ही प्राकृतिक

अति. जिला कलक्टर, पाली



न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल जैर अपील निर्णय पारित कर दिया। अपीलाधीन निर्णय के सम्बन्ध में पटवारी हल्का द्वारा गलत एवं निराधार रूप से रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें वास्तविक तथ्यों एवं रेकर्ड के तथ्यों का लोप है, जो विधिनुरूप नहीं है। जैर आराजी पर अपीलान्ट व उसके पूर्वजों का विगत 50 वर्ष से निरन्तर उपयोग एवं कब्जा काश्त चला आ रहा है, जो पूर्व में ली गई जुर्माना राशि की रसीदों से भी प्रमाणित होता है। जैर आराजी पूर्व में बंजड़ थी, जिसे अपीलान्ट व उसके पूर्वजों ने मेहनत एवं रूपये पैसे खर्च करके उपजाउ बनाया है एवं उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष लगाये हैं, जिससे उक्त भूमि अपीलान्ट के पक्ष में नियमन किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के स्थापित नियम कायदों की किसी भी रूप में पालना नहीं की है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दरकिनार करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। इसलिये अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर, अपीलाधीन आदेश को खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम तालका के खसरा संख्या 41 रकबा 4.00 हैक्टेयर किस्म बंजड़ की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलान्ट के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अतः उक्त आदेश विधि सम्मत होने से अपीलान्ट की अपील खाजिर फरमावे।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट तथा सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा मूल रेकर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पटवारी हल्का खारड़ी ने अपीलान्ट द्वारा मौजा तालका खसरा नम्बर 41 रकबा 4.00 हैक्टेयर किस्म बंजड़ पर सम्वत् 2080 से नाजायज कब्जा कर तारबन्दी कर अतिक्रमण किये जाने बाबत् टी.पी. रिपोर्ट तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष पेश की, जिस पर नायब तहसीलदार ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। 91 एल.आर.एक्ट. के अधीन नोटिस प्रारूप 'क' में अपीलान्ट को दिनांक 14.02.2024 को जारी किया, जिस पर अपीलान्ट ने आगामी पेशी दिनांक 04.03.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए, जो मातहत अदालत की आदेशिका से स्पष्ट है। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने, जैर



8/1

अति. जिला कलेक्टर, पाली


आराजी पर अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण प्रकरण दर्ज कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने का समूचित अवसर देते हुये अपीलान्ट पर 300/- रूपये जुर्माना आरोपित करते हुये जैर आराजी से बेदखली के अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिनुसार है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की मंशा भी राजकीय भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त करना है, इसके सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड देखने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि बंजड़ है, जो कि राजकीय भूमि है तथा बंजड़ भूमि पर अतिक्रमी के कब्जे को नियमित किये जाने बाबत कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतिक्रमित भूमि की किस्म व उक्त भूमि पर अपीलान्ट के कब्जे को अतिक्रमण मानकर हटाये जाने के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते।

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के प्रकरण संख्या 79/2023 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2024 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली